

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II-लण्ड 3-उप-लण्ड (i) FART II-Section 3-Sub-section (i)

शाधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

to 275] गई विक्लो, मंगलवार, जून 3, 1986/उवेड्ठ 1 3, 1908 No. 275] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 3, 1986/JYAISTHA 13, 1908

इस माल में भिन्न एक शंख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

1

वित्त संत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 3 जून, 1986

ग्रधिमूचना

सं. 333/86-सीमाझल्क

सा. का. ति. 829(ग्र):-केन्द्रीय सरकार सी नागुल्क अधितियम 1962 (1962 का 52) की घारा 25 की उनवारा (1) ढारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोभ करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक- हिन में ऐसा करना ग्रावश्यक है, अध्याय 27 की अन्तर्गत ग्राने वाले कील तार पिच को जब उसका भारन में ग्रायात किया जाय, उस पर उद्ध्रहणीय सीनाशुल्क के, जो सीमाशुल्क टैरिक अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में बिनिर्दिप्ट है, उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत से ग्रायिक है और सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 3 के आधीन उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण ग्रतिरिवत शुल्क से छूट देती है।

 यह ग्रधिमूचना 31 मई, 1987 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है प्रदत्त रहेगी।

[फा. सं. 355/229/85-सी. शु.-I]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue) New Delhi, the 3rd June, 1986

_____,,, 5 unit, 1)

NOTIFICATION

No. 333/86-CUSTOMS

G.S.R. 829 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts coal tar pitch, falling within Chapter 27 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of 15 per cent ad valorem and from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act.

2. This notificair tshalf be in force upo and inclusive of the 31st day of May, 1987.

[F. No. 355/229/85-Cust.]

(1)

अधिसुचना

सं. 334/86 सीमागुल्क

सा. का. ति. 83€(त्र):---केन्द्रीम मरकार, विच अभिनियम, 1986 (1986 का 23) की धारा 49 की उपधारा (4) के साथ पश्चित सीमा मुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 कर उपधान (1) द्वारा प्रदर्श महित्यों का त्रियोग करने हुए. अपना पह मगा अति हो जाने पर कि लिकिटिन में ऐता हरना भारतराज है भारत हो (राजम्ब विभाग) को नभिनुषया म अस्ट्रें ५०नीमन कर गर्ज (राजम्ब विभाग) को नभिनुषया म अस्ट्रें ५०नीमन कर गर्ज 13 मई, 1986 में निम्नतिखिन सम्प्रार कर है ---

उक्त अधिसूचना की अन्सूची में अन्त प. 252 कोर उन्ते संबंधित प्रबिष्टियों के पश्चात् निम्नलिखिन अन्तर पर परिवर्ग की जाङ्ग, अर्थाहर की जाङ्ग, अर्थात् :---

"263. सं. 333/86-सीमाण्लक, नानीख 3 जून. 1986" ।

[फा.सं. ३३६/२८०२३-गे. गु.[) एम. एत.विश्वास, अवर अविव

NOTIFICATION

No. 334 86-CUSTOMS

G.S.R. 830(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 49 of the Finance Act, 1986 (23 of 1986), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the doubleattor of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 312/86-Customs, uated the 13th May, 1986, namely :—

In the Schedule to the said notification after Serial number 262 and the entries relating thereto, the following Serial number and entries shall be inserted, namely:---

"263. No. 333/86-Customs, dated the 3rd Fune, 1986". [F No. 355]229]85-Cus. I] M.N. BISWAS, Under Secy.

10000